उत्तर प्रदेश वन निगम
कार्यालय–महाप्रबन्धक (विपणन)

अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरानगर, लखनऊ 226016
website - www.upforestcorporation.co.in

पत्रांक एम–277 /नीलाम शर्तें/अवधि विस्तार/शून्यकाल   दिनांक 10 जुलाई 2020

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 1730/2020/सीएक्स–3 गृह (गोपन) अनुभाग–3, दिनांक 09 जुलाई, 2020 द्वारा यह आदेश हुआ है कि सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड–19 व संचारी रोगों (एनसिफलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु दिनांक 10 जुलाई, 2020 की रात्रि 10 बजे से दिनांक 13 जुलाई, 2020 की प्रातः 5.00 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्लामण्डी व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि (आवश्यक/यथा निर्दिष्ट सेवाओं को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

अतः लॉकडाउन दिनांक 11.07.2020 एवं 12.07.2020 (वन निगम के कार्यो हेतु प्रभावी दिवस) की अवधि में उ0प्र0 वन निगम द्वारा निस्तारित किये जाने वाले समस्त प्रकाष्ठ/बाँस/जड़/जलौनी /चिरान/फर्रा/कटर वेस्ट/जड़ी–बूटी एवं अन्य प्रकाष्ठ उत्पादों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार कार्यवाहियाँ की जायेगी :–

1– इस अवधि में उक्त उत्पादों के समस्त नीलाम/ई–नीलाम (सभी प्रकार की विक्रय प्रक्रिया) को स्थगित किया जाता है।

2– जमानत एवं विक्रय मूल्य आदि की धनराशियाँ, जो केता उक्त लॉकडाउन के कारण जमा नही कर पाते हैं, उन्हें जमा करने हेतु इस अवधि के लिये अवधि विस्तार (शून्यकाल) दिया जाता है।

3– उक्त लॉकडाउन के कारण जो क्रेता निकासी नही ले पाते हैं, उन्हें इस अवधि के लिये अवधि विस्तार (शून्यकाल) दिया जाता है।

4– वन निगम द्वारा विक्रय लाट अनुमोदन हेतु निर्धारित अवधि भी सभी केताओं के लिए अवधि विस्तार (शून्यकाल) के बराबर बढ़ जायेगी।

यदि शासन द्वारा उपरोक्त लॉकडाउन के सम्बन्ध में भविष्य में कोई अग्रेत्तर निर्देश प्राप्त होने पर तदनुसार निर्णय लेकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु अवगत कराया जायेगा।

उपरोक्त ओदश प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

(अतुल जिन्दल) 10/7/2020
महाप्रबन्धक (विपणन)

संख्या एम– 277 / तददिनॉकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक(सामान्य/प्रमाणीकरण) उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
3. समस्त महाप्रबन्धक (कार्मिक को छोड़कर) उ0प्र0 वन निगम।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम।
5. मुख्यलेखाधिकारी एवं वित्तीयपरार्शदाता उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
6. आन्तरिकलेखा सम्परीक्षाधिकारी उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
7. समस्त प्रभागीय विकय/लौगिंग प्रबन्धक/विक्रय/लौगिंग अधिकारी उ0प्र0 वन निगम।
8. प्रभागीय प्रबन्धक(विपणन अनुभाग)/विपणन अधिकारी उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
9. विक्रय अधिकारी(सिस्टम) उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ को उ0प्र0 वन निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त पंजीकृत क्रेताओं को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
10. प्रिव्यू टेक्नोलॉजी द्वारा यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।
11. नोटिस बोर्ड/गार्ड बुक।

(अतुल जिन्दल) 10/7/2020
महाप्रबन्धक (विपणन)